Phone : 23710519 Fax : (91-11) 23730937, 23730682 E-mail : cvo@csir.res.in

Dated : A December, 2024

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 **COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH**

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

No. 15-4/33/85-O&M (Vol. IV) प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Chief Vigilance Officer

The Directors/ Heads of all National Laboratories / Institutes of CSIR

Subject:- Submission of annual property returns for the year ending 2024 by Group 'A' & 'B' officers under Rule 18(1)(ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 – furnishing of Certificate – Reg.

Sir / Madam

I have to say that in accordance with Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct Rules, 1964) as made applicable to the Council employees, the officers holding Group 'A' and 'B' posts are required to submit the complete annual immovable property details for the year 2024.

In this regard, the copies of the Annual Property Return statement for the 2024 of Director and the Sr. CoA/ CoA/ AO duly self-attested by the officials to be forwarded to this office by 15.02.2024 after proper scrutiny. The APR proforma (copy with instructions attached) to be properly filled and avoid using "no change" and "same as before" in the APR details.

Further, the Lab/ Instt must obtain the completely and properly filled APR statements for the year ending 2024 of other Gr 'A' and Gr 'B' officers latest by 31.01.2025 and must send the certificate of the receipt of all APR statements to this Office by 15.02.2025.

In addition, the guidelines issued by Department of Personnel and Training, Government of India vide its Office Memorandum no. 11012/11/2007 - Estt. A dated 27.09.2011, which was endorsed by CSIR letter no. 15-6 (82) / 98-O & M-II dated 15.01.2013, also to be brought to the notice of all concerned.

Accordingly, all CSIR labs / Instts should take cognizance of the above directions for strict compliance.

ours faithfully, (Dr. PK Dutta)

Chief Vigilance Officer

Copy to :

- 1. O/o DG, CSIR, New Delhi 2. O/o JS (Administration), CSIR, New Delhi
- 3. Deputy Secretary (Central Office), CSIR Headquarters, New Delhi
- 4. Deputy Secretary, CSIR Complex, Pusa, New Delhi .(through mail)
- 5. Controller of Administration, Human Resource Development Centre, Ghaziabad .(through mail)
- 6. Sr. CoAs/ CoAs/ AOs of all the National Labs/ Instts of CSIR (through mail)
- 7. Head, IT , CSIR (through mail) To make this circular available on the website of CSIR.
- 8. Office copy

Phone: 23710519 Fax: (91-11) 23730937, 23730682 E-mail:cvo@csir.res.in



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 **COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH**

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या No.

प्रेषक ^{15-4/33/85-}ओ एंड एम(वॉल्यूम।V)

Protect 1 Rotate 2024

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Chief Vigilance Officer

<र्सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख To

विषयः- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष हेतु संपत्ति विवरणों का प्रस्तूतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु.

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहना है कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2024 का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना है ।

इस सम्बन्ध में संस्थानो/प्रयोगशालाओं के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से वार्षिक संपत्ति विवरण वर्ष 2024 की सत्यापित प्रतियां उचित जांच के बाद इस कार्यालय को दिनांक 15.02.2025 तक अवश्य अग्रेषित करें 1 प्रोफोर्मा (निर्देशों के साथ प्रतिलिपि संलग्न) में वार्षिक संपत्ति का विवरण पूर्ण रूप से भरें तथा "no change" और "same as before" का प्रयोग करने से बचें तथा संस्थान/प्रयोगशाला के सभी समूह "क" तथा "ख" अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्ष 2024 का वार्षिक संपत्ति विवरण 31.01.2025 तक स्वयं प्राप्त करें तथा सभी पावतियों का प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.02.2025 तक प्रेषित करें 1

इसके अतिरिक्त कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय जापन स. 11012/11/2007-Estt. A दिनांक 27.09.2011, जिसे सीएसआईआर के पत्र स. 15-6(82)/98- ओ एंड एम-11 दिनांक 15.01.2013 के द्वारा पृष्ठांकित किया गया था, द्वारा जारी किये गए दिशा- निर्देश भी सभी संबंधितों के संज्ञान में पुनः लायें।

तदन्सार, सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाएं/संस्थान उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लें तथा सख्ती से अनुपालन करें ।

भवदीय.

्राज्यति क्वी हिने (डा. पी. के. दत्ता)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपिः

- कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर, नई दिल्ली 1.
- कार्यालय संयुक्त प्रशासन, सीएसआईआर, नई दिल्ली 2.
- उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली 3.
- उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली (मेल के माध्यम से) 4.
- प्रशासन नियंत्रक, मानव संसाधन विकास केंद्र, गाज़ियाबाद(मेल के माध्यम से) 5.

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी(मेल के माध्यम से) 6.

प्रमुख, आई. टी., सीएसआईआर-सीएसआईआर की वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध करने हेतु | (मेल के माध्यम से) 7.

कार्यालय प्रति 8